

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)



संतान शिक्षा भत्ता नीति (शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी)

CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE POLICY
(TEACHERS, OFFICERS AND EMPLOYEES)

सातवें वेतन आयोग के अनुसार

Implementation of 7th CPC

संतान शिक्षा भत्ता

कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार

CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

DOPT

सागर — 470003 (म.प्र.)

SAGAR – 470003 (M.P.)



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003

Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003

Phone : 07582-265826 - Fax : 264236, 264163

क्र. : वित्त-लेखा/शि.प्र.भ./2021-22/ 7588

दिनांक: 24-03-2022

कार्यालय आदेश

समस्त सम्माननीय शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करना है कि सत्र 2021-22 के "संतान शिक्षा भत्ता" की प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन दि. 31 जुलाई 2022 तक भुगतान हेतु स्वीकार किए जायेंगे।

अतः सभी से विनम्र आग्रह है कि संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति से संबंधित आवेदन उक्त तिथि से पूर्व वित्त एवं लेखा कार्यालय में श्री मिर्जा महमूद बेग, नि.श्रे.लि. के पास जमा करने का कष्ट करें ताकि उनका भुगतान किया जा सके। उक्त आवेदनों की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. दि. 1 से दि. 15 तक प्राप्त होने वाले आवेदन	दि. 25 तक प्रोसेस किये जायेंगे
2. दि. 16 से दि. 30 तक प्राप्त होने वाले आवेदन	दि. 10 तक प्रोसेस किये जायेंगे

किसी भी आवेदन की प्रक्रिया अलग से नहीं की जायेगी। आवेदन फार्म सत्र 2021-22 दि. 01 अप्रैल 2022 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

भवदीय,

Bose
24-03-2022

प्रभारी वित्ताधिकारी

डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपि:

1. समस्त प्रशासनिक, अधिष्ठातागण-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
3. समस्त अधिकारी-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
4. विश्वविद्यालय यंत्री-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
5. अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
6. समस्त शाखा प्रभारी-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
7. कुलपति जी के सचिव-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।
8. कुलसचिव के निजी सहायक-डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर।

.....को सूचनार्थ



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

क्र.स्था./2019/5081

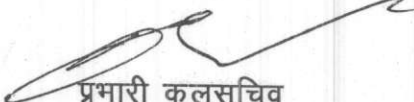
31 मई 2019

कार्यालय आदेश

विषय : शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता (Children Education Allowance) संबंधी।

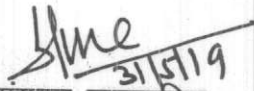
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई, दिल्ली के पत्र सं. F.No.11-1/2017(CU) दिनांक 07 मई, 2019 के क्रम में शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता संबंधी पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये सातवें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के आलोक में Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Department of Personnel & Training, भारत सरकार के पत्र No.A-27012/02/2017-Estt.(AL) New Delhi, दिनांक 16 August, 2017 तथा कार्यालय ज्ञापन No.A-27012/02/2017-Estt.(AL) New Delhi, दिनांक 16/17 July, 2018 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुये दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू किया जाता है।
2. उक्त भारत सरकार के पत्रों के अनुसार दरें निम्नानुसार रहेंगी :-
(क) प्रति बच्चा प्रतिमाह 2250/- रुपये, वार्षिक अधिकतम सीमा Rs. 27000/- fixed.
(ख) Hostel Subsidy प्रति बच्चा प्रतिमाह 6750/- रुपये, वार्षिक अधिकतम सीमा Rs. 81000/-
The amount paid will be actual Hostel fee paid or maximum permissible amount, whichever is less.
(ग) विकलांग प्रति बच्चा प्रतिमाह 4500/- रुपये, वार्षिक अधिकतम सीमा Rs. 54000/- fixed.
3. शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नियमानुसार वर्ष में एक बार किया जाएगा।
4. संलग्न प्रोफार्मा प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता प्रोफार्मा यहाँ संलग्न है- जिसे विश्वविद्यालय की Web Site - WWW.dhsgsu.ac.in तथा IUMS Portal से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

आदेशानुसार,


प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त स्कूल अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक
2. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/शाखा प्रभारी - अपने कार्यालय में सूचित करें।
3. कुलपति जी के सचिव
4. कुलसचिव के निजी सहायक
5. समन्वयक, वि.वि. बेवसाइट सेल
6. संबंधित नस्ती


संयुक्त कुलसचिव
(स्थापना शाखा)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

01

क्रमांक : वित्त/लेखा/2010/33

दिनांक : 04.01.2011

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संतान शिक्षा सहायता (Children Education Allowances) प्रदान करने तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित निर्णय विश्वविद्यालय में लागू हैं :-

1. संतान शिक्षा भत्ता की इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मियों द्वारा अधिकतम दो बच्चों तक के लिए प्रतिपूर्ति ली जा सकती है।
2. उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति केवल विद्यालय जाने वाले बच्चों की ही शिक्षा पर होने वाले खर्च के संबंध में लागू होगी अर्थात् विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्डों से संबद्ध जूनियर महाविद्यालयों या विद्यालयों द्वारा संचालित ग्यारहवीं और बारहवीं की कक्षाओं सहित नर्सरी से बारहवीं की कक्षाओं के बच्चों के लिए।
3. संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अब से बच्चे की कक्षा में उसकी प्रॉमोमेंस से कोई अन्तर्बन्धन नहीं रहेगा। अन्य शब्दों में, यदि कोई बच्चा किसी कक्षा विशेष में अनुत्तीर्ण भी हो जाए तो भी संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति को रोक नहीं जाएगा।
4. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है :-
शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि, इलैक्ट्रानिक्स, संगीत या किसी अन्य विषय के लिए वसूल किया गया शुल्क, कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत व्यावहारिक कार्य हेतु वसूल किया गया शुल्क, बच्चे द्वारा किसी उपकरण या यंत्र के उपयोग के लिए भुगतान किया गया शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेल शुल्क तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों से संबंधित शुल्क। इसमें पाठ्य पुस्तकों और नोट बुक्स का एक सेट, वर्दियों के दो सेट तथा विद्यालय जाने के लिए जूतों का एक सेट शामिल है जिनका एक बच्चे के लिए एक वर्ष में दावा किया जा सकता है।
5. संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 12000=00 रुपये है।
6. इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा प्रत्येक तीमाही में एक बार किया जा सकता है। एक तीमाही में दावा की गई धनराशि रु. 3000=00 से अधिक हो सकती है तथा दूसरी तीमाही में 3000=00 रु. से कम हो सकती है बशर्ते कि वह प्रति बच्चा रु. 12000=00 की वार्षिक अधिकतम सीमा तक बनी रहे।
7. यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं, तो उनमें से केवल एक ही उक्त भत्ता के अंतर्गत प्रतिपूर्ति लेगा।
8. छात्रावास परिदान (सब्सिडी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम दो बच्चों तक की सीमा के अधीन प्रति बच्चा प्रतिमाह 3000=00 रु. की अधिकतम सीमा तक की जा जाएगी। तथापि, छात्रावास परिदान (सब्सिडी) और संतान शिक्षा भत्ता दोनों को साथ-साथ नहीं लिया जा सकता है।
9. संशोधित वेतन ढांचा में जब भी मंहगाई भत्ता 50% हो जाएगा, उपर्युक्त सीमाओं में 25% की वृद्धि स्वतः हो जाएगी।
10. यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि सरकारी सेवकों को प्रतिपूर्ति का दावा करने में कोई कठिनाई न हो, इस योजना के तहत प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। अब से विश्वविद्यालय कर्मियों द्वारा स्वयं अनुप्रमाणन के आधार पर मूल रसीदों के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

सभी कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त नियमों का अनुपालन कर संबंधित व्यय के देयक उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही पूर्ण विवरण के साथ नियमानुसार संलग्न फार्म में भर कर श्री अजित नामदेव, अधीक्षक, बजट अनुभाग के पास प्रक्रिया/भुगतान हेतु जमा करें। उक्त फार्म, केशमेमों तथा रसीदों पर संबंधित संरक्षक/पिता/माता/विद्यालय के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। उक्त फार्म श्री अजित नामदेव, अधीक्षक, बजट शाखा से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

आदेशानुसार

[Signature]
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि-

1. समस्त प्रशासनिक अधिष्ठाता - उनके कार्यालय में सूचित किये जाने हेतु।
2. समस्त अकादमिक अधिष्ठाता - उनके अधीन विभागों में सूचित किये जाने हेतु।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक - उनके कार्यालय में सूचित किये जाने हेतु।
4. समस्त उप-कुलसचिव/सहा.कुलसचिव/प्रभारी/अनु.अधिकारी/अधीक्षक - उनके कार्यालय में सूचित किये जाने हेतु।
5. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
7. वेब सेल - वेबसाइट पर सूचना एवं फार्मों को उपलोड करने हेतु।
8. समस्त कर्मचारी।
9. विश्वविद्यालय नोटिसबोर्ड।

[Signature]
Assistant Registrar Accounts
Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M. P.)